न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 77/2013

उनवान

1. श्री अब्दुल रज्जाक पुत्र रोशन खां,
2. श्रीमती अमीना पत्नि इमानुदीन
3. श्री फियाज पुत्र इमानुदीन
4. श्री तोहिद पुत्र इमानुदीन,
5. श्री सोनु पुत्र इमानुदीन प्रार्थी संख्या 3 से 5 नाबालिग पुत्रगण जरिऐ प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती अमीना
6. श्री जमील पुत्र रोशन खां
7. श्री गोरू पुत्र रोशन खां
8. श्री युसुफ पुत्र रोशन खां **मृत जरियें वारिसान**

8/1. फरीदा पत्नी युसुफ
8/2. ननू
8/3. मुन्ना
8/4. सोनू
8/5. हुसैन
8/6, मुस्कान पि0 युसूफ समस्त जातिगण मुसलमान निवासीगण ग्राम अजबा का बाडिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान (राज0)

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. श्री असराईल पुत्र श्री अब्दुल रहमान दत्तक पुत्र दीना खां ,
2. श्री अब्दुल रहमानु पुत्र रमजान खां ,
3. श्री अब्दुल गफ्फार पुत्र रमजान खां **(अबैट)**
4. श्री उमर पुत्र रमजान खां ,
5. श्री अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल हमीद ,
6. श्री सुलेमान पुत्र अब्दुल हमीद ,
7. श्री हारून पुत्र अब्दुल हमीद ,
8. श्री इस्माईल पुत्र अब्दुल हमीद ,
9. श्री जुबेर पुत्र अब्दुल हमीद,
10. श्री नसरूदीन पुत्र बशीर खां,
11. मुसा पुत्र स्व. कमरूदीन,
12. ईसा पुत्र स्व. कमरूदीन ,
13. जाहिद पुत्र स्व. कमरूदीन जातिगण मुसलमान निवासीगण ग्राम अजबा का बाडिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

14. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण :— 1, 2 व 4 जरियें अधिवक्ता श्री मसूद परवेज
14 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :—

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी की निम्न आराजी वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 से 13 की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

पुराना खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
208	0.06	286	0.06
211 मिन	0.06	292	0.06
211 मिन	0.05	294	0.05

आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 92 के मूल खातेदार रमजान, रोशन, दीना, सुवा, सरफराज पि0 बहादुल खां के नाम अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023—26 में दर्ज है। बहादुल खां के 5 लडके है जिनका आराजी मुतनाजा पर बराबर हक व अधिकार है। सभी खातेदार की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस वादीगण व प्रतिवादीगण है। दीना खां की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है का गोद पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 असराईल खां है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख मे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ने प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन क्रिया कि उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी नही है। आराजी मुतनाजा नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गयी है। वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नही है। अतः वाद पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व वाद पत्र अबैट किया गया। शेष प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादीगण

2. आया वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

—— वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के स्वामित्व व अधिकार की होने व वादीगण का कब्जा काश्त नही होने से वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व अब्दुल रज्जाक, उस्मान व साजिद का शपथ पत्र पेश किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने इसराईल, अब्दुल रहमान, गुलाब नबी का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार पारित किये जाते है।

तनकी संख्या 1 :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 92 चौसाला जमाबंदी में रोशन पुत्र बहादुल खां के नाम थी। प्रार्थीगण का कथन है कि रोशन खं के वारिस वे है। अतः आराजी मुतनाजा पर उनका भी हक व अधिकार है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान श्रेत्रफल के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 92 का कुल रकबा 495–5–0 था। जिसके कई वंर्किग खसरा नम्बर बने है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र वंर्किग खसरा नम्बर 208 व 211 के दस्तावेज पेश किये है। शेष वंर्किग खसरा नम्बर की जमाबंदी पेश नही की गयी है। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 208 रकबा 0–8–0 व 211 रकबा 0–13–0 दीना पुत्र बादल खां के नाम दर्ज है जो नामान्तकरण संख्या 193 दिनांक 15.5.2000 पंजीकृत वसीयत से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुआ। उक्त पंजीकृत दस्तावेज को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। पंजीकृत दस्तावेज की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। व हाल राजस्व अभिलेख में भी प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मात्र चौसाला जमाबंदी के इन्द्राज के आधार पर हाल इन्द्राज को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। चौसाला जमाबंदी के अन्य कई वंर्किग खसरा नम्बर की स्थिति प्रकरण में स्पष्ट नही है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के आधार पर वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी संख्या 1 बहक प्रतिवादी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। वादीगण आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है। खातेदारी अधिकारों के अभाव में वादीगण विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अध्किारी नही है। तनकी विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आराजी मुतनाजा का अंकन विधिवत है। तनकी विरूद्व वादीगण बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 286 रकबा 0.06, 292 रकबा 0.06 व 294 रकबा 0.05 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय सरे इजलास सुनाया ग

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

अब्दुल रज्जाक बनाम असराईल
दावा बाबत :– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 77/2013
पेश करने की दिनांक – 06.05.2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई मसूद परवेज अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 286 रकबा 0.06, 292 रकबा 0.06 व 294 रकबा 0.05 की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअख़त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक माह सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:18:15 IST
Reason: SelfAttested